पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती मनाई

दीनदयाल उपाध्याय की 109वीं जयंती पर 'एकात्म मानवदर्शन' पर व्याख्यान और रोजगार मेला आयोजित

जयपुर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति द्वारा उनकी 109वीं जयंती के अवसर पर गुरुवार को जयपुर स्थित धानक्या रेलवे स्टेशन परिसर में 'एकात्म मानववाद से एकात्म मानवदर्शन की विकास यात्रा' विषयक स्मृति व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक एवं प्रदर्शनी स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं विचार

■ **वासुदेव देवनानी, अरुण जैन, गोपाल शर्मा सहित अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे**

गोष्ठी के साथ-साथ एक भव्य रोजगार मेले का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि विधायक गोपाल शर्मा विशिष्ट अतिथि रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख अरुण जैन ने मुख्य वक्ता के रूप में एकात्म मानववाद की अवधारणा पर विस्तृत व्याख्यान दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उद्योगपति एवं समाजसेवी विजेंद्र सिंह ने की।

मुख्य वक्ता अरुण जैन ने अपने संबोधन में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय सोच और संस्कृति के अनुकूल राजनीतिक और सामाजिक दर्शन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि उपाध्याय जी का दिया गया 'एकात्म मानववाद' केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि भारतीय समाज के समग्र विकास का मार्ग है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक गुरुजी ने इसे परिपूर्ण मानव का दर्शन कहा, वहीं दत्तोपंत ठेंगड़ी ने इसे एकात्म मानवदर्शन के रूप में देखा।

मुख्य अतिथि वासुदेव देवनानी ने कहा कि पंडित दीनदयाल जी ने विपरीत परिस्थितियों में भी सामान्य जीवन जीते हुए राष्ट्र को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि वे संगठन के माध्यम से जनसेवा को सर्वोच्च मानते थे और जनसंघ में रहकर उन्होंने भारतीय राजनीति में वैचारिक संतुलन और नैतिक मूल्यों की नींव रखी।

विशिष्ट अतिथि गोपाल शर्मा ने कहा कि जब दीनदयाल जी जनसंघ के अध्यक्ष बने, तब उन्होंने देश में जनजागरण का कार्य शुरू किया और नई राजनीतिक दिशा दी। उन्होंने भारतीय राजनीति में सेवा, सादगी और सिद्धांत आधारित नेतृत्व की मिसाल पेश की।

कार्यक्रम के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि दीनदयाल उपाध्याय का स्वदेशी, रामराज्य और अंत्योदय का दर्शन आज भी भारत को आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बनाने की राह दिखाता है।

इस अवसर पर 'दीनदयाल उपाध्याय की राजस्थान यात्राएं' पुस्तक का विमोचन भी किया गया। सभी अतिथियों ने पंडित दीनदयाल राष्ट्रीय स्मारक परिसर और प्रदर्शनी का अवलोकन कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।

समिति के अध्यक्ष प्रो. मोहनलाल छीपा ने समिति की गतिविधियों का परिचय देते हुए राज्य सरकार से दीनदयाल उपाध्याय बोर्ड गठन, विश्वविद्यालयों में शोध पीठ की स्थापना, दीनदयाल छात्रवृत्ति योजना, और पाठ्यक्रमों में उनके विचारों को शामिल करने जैसे सुझाव रखे। सचिव प्रतापभानू सिंह शेखावत ने समिति की भावी योजनाओं की जानकारी दी, वहीं कोषाध्यक्ष गजेंद्र ज्ञानपुरिया ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन अश्विन महेश दलवी ने किया।

कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग के सहयोग से रोजगार मेले का आयोजन भी किया गया। इस मेले में 26 निजी कंपनियों ने भाग लिया और करीब 500 युवक-युवतियों ने पंजीकरण कराया। यह रोजगार मेला खासतौर पर धानक्या और आसपास के ग्रामीण युवाओं के लिए अवसर लेकर आया, जिससे उन्हें अपने ही क्षेत्र में नौकरी के अवसर मिलेंगे। नीरज कुमावत ने इस रोजगार मेले के संयोजक की भूमिका निभाई।

इस आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम, प्रांत प्रचारक बाबूलाल, अनिल ओक, मूलचंद, क्षेत्र संघचालक रमेशचंद्र अग्रवाल, सांसद राव राजेन्द्र सिंह सहित अनेक गणमान्यजन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं आमजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

देवनानी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक एवं प्रदर्शनी स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

जापान पर्यटन एक्सपो आइची में राजस्थान मंडप का उद्घाटन

■ **राजस्थान पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियाड़ और टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास की पर्यावरण एवं वाणिज्य मंत्री देबजानी चक्रवर्ती ने जापान पर्यटन एक्सपो आइची में किया राजस्थान मंडप का उद्घाटन**

जयपुर/टोक्यो। जापान के टोक्यो शहर में आयोजित जापान पर्यटन एक्सपो आइची में सहभागिता करने के लिए टोक्यों पहुंची राजस्थान पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियाड़ और टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास की पर्यावरण एवं वाणिज्य मंत्री देबजानी चक्रवर्ती ने गुरूवार को उक्त एक्सपो में राजस्थान मंडप का उद्घाटन किया।

राजस्थान पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियाड़ ने इससे पहले जापान पर्यटन बोर्ड और अन्य देशों के मंत्रियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ एक्सपो का उद्घाटन किया। उन्होंने अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी और एफएचटीआर के सदस्य तरुण बंसल और हेमंत मित्तल तथा सह-प्रदर्शक दीपक धायल और अन्य लोगों के साथ, जापान पर्यटन बोर्ड के जेटीबी सदस्यों (अध्यक्ष और शीर्ष ट्रैवल एजेंट) और जापान राष्ट्रीय पर्यटन संगठन (जेएनटीओ) के अध्यक्ष और अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत चर्चा में भाग लिया और राजस्थान के आकर्षक पर्यटन स्थलों और उत्पादों के संबंध में जानकारी दी और फ़िल्म के माध्यम से एक प्रस्तुति दी।

राजस्थान के पर्यटन आकर्षणों और उत्पादों के जीवंत प्रदर्शन के साथ, जापान पर्यटन एक्सपो आइची में राजस्थान पर्यटन स्टैंड आकर्षण का केंद्र बन गया है। स्टैंड पर लाइव हस्तशिल्प प्रदर्शन बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित कर रहा है।

इस दौरान जापानी मीडिया से भी बातचीत की गई तथा राजस्थान पर्यटन के भव्य स्वरूप और यहां की पर्यटन विशेषताओं से अवगत कराया गया। इसके साथ ही व्यावसायिक बैठकें भी आयोजित की गई।

जापानी ब्लॉगर मधु राजस्थानी सदस्यों के साथ राजस्थान स्टैंड पर उपस्थित रही जहां उनकी लोक प्रस्तुति संपन्न हुई है।

आतंक फैलाने वाले दो बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। इलाके में आतंक फैलाने और मारपीट करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया हैं। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों को क्राइम सीन पर ले जाकर परेड कराई। पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर करण शर्मा ने बताया कि जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाके में आतंक फैलाने और मारपीट करने वाले सोनू मीणा (23) निवासी गलता गेट जयपुर और नितिन सिनसिनवार (20) निवासी कुम्हेर जिला डीग हाल गलता गेट जयपुर को गिरफ्तार किया है। जयसिंहपुरा खोर क्षेत्र में 18 सितम्बर रात दो गैंग के बीच पुरानी रंजिश को लेकर आपस में झगडा हो गया । जिस पर एक पक्ष के लोग वाहनों में सवार होकर दूसरे पक्ष के वाहन का पीछा करते हुए गाड़ी के आगे दूसरे वाहन से टक्कर मारकर लाठी सरियों से मारपीट करके शुभम उर्फ लाला के हाथ पैर तोड दिये।

तीन आरोपी गिरफ्तार

जयपुर। जयपुर कमिश्नरेट की स्पेशल जिला स्पेशल टीम (क्राइम ब्रांच सीएसटी) ने भांकरोटा थाना इलाके में कार्रवाई करते हुए आगरा से प्रतिबंधित नशीली दवाइयां और टैबलेट्स मंगवाकर जयपुर में सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 37 हजार 410 टैबलेट्स और कैप्सूल के साथ तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि सीएसटी ने भांकरोटा थाना इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली दवाइयां और टैबलेट्स मंगवाकर जयपुर में सप्लाई करने वाले गिरोह के शातिर बदमाश संपत सिंह शेखावत निवासी जयसिंहपुरा, अंकुश अग्रवाल और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर निवासी अभिराज सिंह को गिरफ्तार किया है।पुलिस ने इनके पास से प्रतिबंधित नशीली दवा अल्प्राजोलम और ट्रामाडोल के कुल 37 हजार 410 कैप्सूल और टेबलेट्स बरामद किए है।

चारदीवारी में हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश

■ **नगर निगम की ओर से समय-समय पर सिर्फ नोटिस जारी करने पर नाराजगी जताई**

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर की चारदीवारी के भीतर हुए अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के बजाए नगर निगम की ओर से समय-समय पर सिर्फ नोटिस जारी करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने कहा है कि जिन भवन मालिकों को अवैध निर्माण के नोटिस जारी किए जा चुके हैं, उन बिल्डिंगों को स्थाई रूप से सील कर दो माह में ध्वस्त करने की कार्रवाई पूरी की जाए। अदालत ने निगम आयुक्त को कहा है कि संबंधित उपायुक्त और जिन अधिकारियों से नोटिस देने के बाद कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। अदालत ने कहा है कि यदि इन अफसरों को तबादला भी हो चुका है तो डीएलबी सचिव आदेश की पालना सुनिश्चित करें। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश जितेन्द्र कुमार साधवानी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगम के अधिकारियों के पास कार्रवाई करने की शक्तियां हैं। इसके बावजूद उन्होंने समय-समय पर अंतिम नोटिस के नाम पर कागजी कार्रवाई की और उसके बाद प्रभावी कदम नहीं उठाया।

अदालत ने कहा कि नगर निगम की ओर से प्रभावी कदम नहीं उठाने से पूरी चारदीवारी के भीतर अवैध इमारतें बन गई हैं। अवैध बिल्डिंग पूरे शहर और समाज के लिए खतरा बन गई है और इसने चारदीवारी के विरासत मूल्यों को बर्बाद कर दिया है। वहीं निगम की इस कार्यप्रणाली से अन्य लोग भी अवैध निर्माण के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ऐसे में अधिकारियों को इन अवैध निर्माणों पर आंख मूंदकर बैठने और नोटिस जारी करने के छह माह बाद भी ढिलाई बरतने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजय जोशी ने कहा कि शहर के परकोटे के भीतर युद्ध स्तर पर अवैध निर्माण हो रहे हैं। भवन मालिकों ने न तो नगर निगम से निर्माण की स्वीकृति ली है और ना ही नक्शे पास कराए हैं। वहीं कई लोगों ने अपने रिहायशी मकानों को तोडकर बिना पार्किंग छोडें बहुमंजिला व्यावसायिक निर्माण कर लिए हैं। इस संबंध में निगम में कई बार शिकायत की, लेकिन निगम ने उन्हें छह माह के अंतराल में सिर्फ नोटिस जारी किए। जिसके चलते भवन मालिक ने निर्माण पूरा कर लिया। वहीं निगम की ओर से जवाब पेश कर माना गया कि अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी किए गए थे।

शाहरुख और दीपिका के खिलाफ कार्रवाई पर रोक जारी

■ **कार कंपनी और शिकायतकर्ता आपस में सहमति से करें मामले का निस्तारण**

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने खराब कार की मार्केटिंग करने से जुडे मामले में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण के खिलाफ भरतपुर के मथुरा गेट थाने में दर्ज एफआईआर में कार्रवाई पर लगी रोक को जारी रखा है। इसके साथ ही अदालत ने कार कंपनी और शिकायतकर्ता को अपना विवाद आपसी सहमति से तय करने को कहा है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण सहित अन्य की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का विवाद अपनी जगह है, लेकिन उसने कंपनी के ब्रांड एंबेसडर के खिलाफ कार्रवाई क्यों कि है। कंपनी के साथ मिलकर सहमति से मामला सुलझाया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक राज बाजवा और माधव मित्र ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता ने कार खरीदने के बाद उसे तीन साल तक करीब 67 हजार किलोमीटर चलाया और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई। मामले में फिल्मी कलाकार याचिकाकर्ताओं पर कोई स्पष्ट आरोप नहीं है। वे कार के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उन्होंने सिर्फ कार का विज्ञापन किया था।

याचिकाकर्ता दीपिका पादुकोण तो शिकायतकर्ता के वाहन खरीदने के बाद इस ब्रांड से जुडी हैं। इसके अलावा हर वाहन की परफॉर्मेंस उसके चलाने के तरीके पर निर्भर करती है। यदि शिकायतकर्ता को कार की परफॉर्मेंस को लेकर कोई शिकायत भी थी तो इसमें कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। शिकायतकर्ता इसे उपभोक्ता अदालत में परिवाद दायर कर चुनौती दे सकता था।

इसके बावजूद भरतपुर की निचली अदालत के पीठासीन अधिकारी ने बिना विधिक मस्तिष्क का उपयोग किए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गत सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आगामी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। भरतपुर के वकील कीर्ति सिंह ने इस्तगासे के जरिए मथुरा गेट थाने में गत दिनों एफआईआर दर्ज कराई थी।

जिसमें कंपनी के एमडी अनसो किम, निदेशक और सीईओ तरुण गर्ग, शाहरुख खान व दीपिका पादुकोण सहित अन्य को आरोपी बनाते हुए कहा गया था कि उसने जून, 2022 में 23 लाख 97 हजार रुपए में एक कंपनी की कार खरीदी थी। हाईवे पर कार चलाने के दौरान ओवरटेक करते समय कार पिकअप नहीं लेती और उसका सिर्फ आरपीएम ही बढ़ता है। कार के ओडोमीटर में माल फंक्शन लिखा आने का साइन नजर आता है। वहीं तेज चलाने पर कार वाइब्रेट होने लगती है। एफआईआर में यह भी कहा गया कि जब शिकायत दी गई तो कार एजेंसी संचालक ने इसे कार निर्माण में दोष बताया। अपराध में कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ दोनों फिल्मी कलाकार भी बराबर के आरोपी हैं।

यू.ई.एम. का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सम्पन्न

अनुप्रयुक्त विज्ञान के विविध अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालते हुए अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए।

जयपुर। सम्मेलन में दोनों मोड में दुनिया भर से 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें शोध विद्वान, शिक्षाविद और उद्योग पेशेवर शामिल थे। उद्घाटन समारोह में प्रो. बनानी चक्रवर्ती (कुलाधिपति, यूईएम जयपुर), प्रो. (डॉ.) बिस्वजय चटर्जी (कुलपति, यूईएम जयपुर), प्रो. (डॉ.) सत्यजीत चक्रवर्ती (प्रो-वाइस चांसलर, यूईएम जयपुर), प्रो. (डॉ.) प्रदीप कुमार शर्मा (रजिस्ट्रार, यूईएम जयपुर), के साथ साथ यूईएम जयपुर के एसोसिएट डीन देश के विभिन्न हिस्सों से अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।इसके अलावा, लगभग 101 शिक्षाविदों ने कम्प्यूटेशनल और अनुप्रयुक्त विज्ञान के विविध अनुप्रयोगों पर प्रकाश डालते हुए अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए।

समापन सत्र 21 सितंबर 2025 को शाम 5:00 बजे आयोजित किया गया, जहाँ संयोजक डॉ. प्रफुल्ल छाबड़ा और डॉ. तरुण शर्मा ने सम्मेलन पर एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रतिभागियों ने उपयोगी सत्रों और मूल्यवान नेटवर्किंग अवसरों के लिए अपनी सराहना व्यक्त की। कार्यक्रम का समापन संयोजक डॉ. प्रफुल्ल छाबड़ा द्वारा औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।

जयपुर केंद्रीय कारागार में दो बंदियों में झगड़ा

जयपुर। लाल कोठी थाना इलाके के घाटगेट स्थित जयपुर केंद्रीय कारागार (जेल) में दो बंदियों में झगड़ा हो गया। जहां एक बंदी ने स्टील मग मारकर दूसरे का सिर फोड़ दिया। सूचना मिलने पर जेल प्रशासन ने झगड़े के बाद बैरक में बंद दोनों बंदियों को बाहर निकाल अलग-अलग किया। वहीं घायल बंदी को प्राथमिक इलाज के लिए जेल अस्पताल ले जाया गया। इस संबंध में जयपुर सेंट्रल जेल के प्रहरी की ओर से थाने में दोनों बंदियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया।

थानाधिकारी प्रकाश राम विश्नोई ने बताया कि जयपुर सेंट्रल जेल के प्रहरी बंटी सेजवाल ने मामला दर्ज करवाया है कि जेल के वार्ड नंबर-5 के बैरक नंबर-3 में विचाराधीन बंदी विष्णु बंद है और उसके साथ ही बैरक में बंदी रोहित व रामकेश भी है। जहां बुधवार देर शाम को बंदी विष्णु और रोहित की आपस में किसी बात पर कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के बाद झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया। बंदी रोहित ने अपने साथी रामकेश के साथ मिलकर बंदी विष्णु पर हमला कर दिया। जहां गुस्से में स्टील मग से वार कर विष्णु का सिर फोड़ दिया।

सार-समाचार

भारत रत्न भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय का हुआ उद्घाटन

जयपुर। वार्ड 31 के लोकप्रिय पार्षद लादूराम दुलारिया द्वारा अथक प्रयासों से नगर निगम से लगभग 26लाख रुपए स्वीकृत करवा के वार्ड 31 में भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया। जिसका उद्घाटन क्षेत्रीय पार्षद लादूराम दुलारिया द्वारा फीता काटकर किया गया ।इस कार्यक्रम में पूर्व राज्य मंत्री राजीव अरोड़ा, पीसीसी महामंत्री विक्रम सिंह शेखावत, पूर्व पीसीसी महामंत्री गिर्राज गर्ग ,पूर्व उपाध्यक्ष विप्र कल्याण बोर्ड मंजू शर्मा , पीसीसी सदस्य महेंद्र सिंह खेड़ी ,जगदीश शर्मा ब्लॉक अध्यक्ष हरेंद्र पाल सिंह जादौन,शहर उपाध्यक्ष पार्षद नसरीन बानो ,रैगर समाज के अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह जादौन ब्लॉक अध्यक्ष रेगर समाज के कमलेश कुमार व उनकी कार्यकारिणी ,वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुशील शर्मा लक्ष्मण सिंह कैलाश गुरुजी रामकुमार शर्मा ,ओंकार मल,देवीलाल वर्मा, सहित अनेक पार्षद प्रत्याशी वार्ड अध्यक्ष इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। संगठन महामंत्री मनोज अमन ने बताया कि आये हुए सभी अतिथियों ने पार्षद लादूराम दुलारिया द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों की भूरि भूरि प्रशंसा की और क्षेत्र के नागरिकों से अपील की कि भविष्य में आप इन्हें पुनः जिताकर नगर निगम में भेजें जिससे आपके क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके ।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा, प्रदेश मंत्री स्टेफी चौहान, प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक, पूर्व महिला आयोग अध्यक्ष सुमन शर्मा, भाजपा प्रवक्ता अपूर्वा सिंह, प्रदेश मीडिया संयोजक प्रमोद वशिष्ठ सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का दर्शन और अंत्योदय का विचार सदैव भारत के विकास पथ को दिशा देता रहेगा। उनका विचार था कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान ही वास्तविक राष्ट्र निर्माण है। उनके सिद्धांत आज भी सरकार की समावेशी विकास की नीति में पूर्ण रूप से समाहित हैं। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं ने भी पुष्प अर्पित किए।

पटवारी व दलाल को पन्द्रह हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(एसीबी) की टोंक टीम ने कार्रवाई करते हुएकार्यालय तहसील गर्दी जिला के टोंक पटवारी नरेन्द्र बैरवा और दलाल मोहम्मद को पन्द्रह हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी टीम टोंक को परिवादी ने शिकायत दी कि उसके पुत्री-पुत्रो के नाम से खरीदी भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में आरोपित पटवारी नरेंद्र बैरवा तीस हजार रुपये की रिश्वत मांग की जा रही है। जिस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया। जहां आरोपित पटवारी ने तीस हजार रुपये की रिश्वत मांग की। जिस पर एसीबी टोक टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबर मल ने ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया। ट्रेप के दौरान पटवारी ने अपनी उपस्थिति में अपने परिचित मोहम्मद नसीम (दलाल) को पन्द्रह हजार रुपये की रिश्वत परिवादी से दिलाई गई। इस दौरान एसीबी ने कार्रवाई करते हुए पटवारी और दलाल को रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया।

''पोषण समाधान को गति देना'' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित

■ **इस अवसर पर समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए**

जयपुर। निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, (आईसीडीएस) वासुदेव मालावत के मुख्य आतिथ्य में गृह विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के सहयोग से 'मिलेट्स एवं फूड फोर्टिफिकेशन का एकीकरण: पोषण समाधान को गति देना'' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन गुरुवार को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक राजस्थान विश्वविद्यालय के सेमिनार हॉल में किया गया है। इस अवसर पर राजस्थान विश्वविद्यालय और , के बीच एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर भी किए गए, जिससे पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भविष्य में सहयोग और मजबूत होगा। डॉ. सचिन गुप्ते ए वरिष्ठ सलाहकारए , भारत में स्वास्थ्य हस्तक्षेपों को संबोधित करने में ,की भूमिका के बारे में बताया। बाल स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने तथा शिक्षाविदों, विशेषज्ञों एवं व्यवहारकर्ताओं को एक साझा मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित इस संगोष्ठी में विभिन्न शैक्षिणक एवं चिकित्सीय संस्थानों के प्रतिष्ठित वक्ताओं तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही।निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं वासुदेव मालावत ने अपने सम्बोधन में कहा कि राजस्थान मूल रूप से मोटे अनाज खाने वाला प्रदेश है। हमारे यहां ज्वार, बाजरा दैनिक रूप से खाने वाले अन्न हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में खान-पान में बदलाव के कारण हम हमारे पारम्परिक मोटे अनाजों के खान-पान से दूर हुए हैं। यदि हम पुनः राजस्थान के पारम्परिक भोज्य पदार्थों का सेवन करें तो ज्यादा बेहतर और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे दैनिक जीवन में गुणवत्तापूर्ण भोजन का अत्यधिक महत्व है।वासुदेव मालावत ने कहा कि बच्चों में कुपोषण, ठिगनापन आदि एक बड़ी समस्या है। राजस्थान में बच्चों उन्होंने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों और वातावरण के अनुकूल ही पोषण आहार दिया जाना आज के समय की जरूरत है। राज्य सरकार की ओर से आंगनबाड़ियों में बच्चों को सप्ताह में 5 दिन गरम दूध दिया जा रहा है।

'मिलेट्स एवं फूड फोर्टिफिकेशन का एकीकरण पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया।

नाहरगढ़ अभयारण्य की मौजूदा सीमाओं में परिवर्तन पर रोक, मांगा जवाब

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य की मौजूदा सीमाओं में परिवर्तन करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि इसमें ईको सेंसिटिव जोन और वर्णित क्षेत्र भी शामिल रहेगा। इसके साथ ही अदालत ने मामले में पर्यावरण मंत्रालय, राज्य के मुख्य सचिव, एसीएस वन, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड और पीसीसीएफ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहीं अदालत ने मामले में उठाए गए मुद्दे पर केंद्र सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को शपथ पत्र पेश कर करने के आदेश देते हुए पीसीसीएफ का हलफनामा भी मांगा है। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश नाहरगढ़ वन एवं वन्य जीव सुरक्षा एवं सेवा समिति की जनहित याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता केसी शर्मा ने अदालत को बताया कि एनजीटी के 16 दिसंबर 2024 के आदेश की आड में नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य का संशोधित नक्शा तैयार किया जा रहा है। जिसमें मिलीभगत कर वर्णित क्षेत्र में शामिल होने वाले गांवों की भूमि को शामिल नहीं किया गया है।

इस कार्रवाई में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों की भी अवहेलना की जा रही है। इस दौरान राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की सिफारिश लिए बिना ही अभयारण्य की सीमाओं में बदलाव किया जा रहा है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि नाहरगढ़ अभयारण्य की सीमा पर चल रही गैर वानिकी गतिविधियों और व्यावसायिक गतिविधियों को फायदा पहुंचाने के लिए वन विभाग की ओर से यह कार्रवाई की जा रही है। याचिका में यह भी कहा गया कि अभयारण्य की सीमाओं में संशोधन की कार्रवाई से अभयारण्य को नुकसान हो रहा है और ईको सेंसिटिव जोन भी प्रभावित हो रहा है। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने अभयारण्य की मौजूदा सीमाओं में बदलाव करने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है और केन्द्र व राज्य सरकार के अफसरों से शपथ पत्र पेश करने को कहा है।